हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

संख्या वि0 स0–वि0–सरकारी विधेयक/1–51/2011.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 26) जो आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

आदेश द्वारा,
सचिव,
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

————————

2011 का विधेयक संख्यांक 26

हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 25) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक ।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**–इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है ।

2. **धारा 1 का संशोधन.**–हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (3) में खण्ड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जाएंगें, अर्थात्:–

"(xiii) इनडोर और साहसिक खेलों सहित खेलों का सबंर्धन, किन्तु अवसर और बाजी लगाने के खेल इसमें सम्मिलित नहीं होंगे; और

(xiv) कोई अन्य पूर्त या कल्याणकारी उद्देश्य जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित करें।"।

3. **धारा 8 का संशोधन.**–मूल अधिनियम की धारा 8 के खण्ड (xii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(xii) इस शर्त के लिए कि अधिशेष, यदि कोई हो, को सोसाइटी सदस्यों के बीच वितरित नहीं करेगी ;"।

4. **धारा 9 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (5) में ", इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के नब्बे दिन की अवधि के भीतर " चिन्ह और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (5) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

5. **धारा 35 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक में "पांच लाख" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख" शब्द रखे जाएंगे ।

6. **धारा 42 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) यदि सोसाइटी के क्रियाकलापों से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत शासी निकाय या सोसाइटी के सदस्य या भूतपूर्व सदस्यों या इसके कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो शासी निकाय का कोई सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या सोसाइटी का कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी ऐसे विवाद को रजिस्ट्रार को विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा, जो, या तो स्वयं विवाद का विनिश्चय करेगा या ऐसे विवाद को निपटारे के लिए सरकार के किसी अन्य अधिकारी को, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जा सके, निर्दिष्ट करेगा।"।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्यांक 21) जहां तक यह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू था, को निरसित करके हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 को साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, धार्मिक, पूर्त या अन्य सामाजिक कल्याणकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और उनके कार्य संचालन का उपबन्ध करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था । हिमाचल प्रदेश खेल (संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 13) के निरसन के पश्चात् 2005 के निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत खेल संगमों और सोसाइटियों को शासित करने या भविष्य में खेल संगमों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई विधि विद्यमान (लागू) नहीं है । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन खेल सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने हेतु उपबंध करना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त धारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट से अन्यथा पूर्त या कल्याणकारी उद्देश्यों, जिनके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकेंगी को अधिसूचित करने के लिए सरकार को सशक्त करना भी प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन उपबन्धित विद्यमान सोसाइटियों की उप–विधियों में संशोधन करने के लिए समय सीमा की शर्त को हटाया जा सकेगा। धारा 35 के अधीन पांच लाख रूपए से अधिक वार्षिक आवर्त वाली सोसाइटियों द्वारा समाचार पत्रों में सम्परीक्षित तुलन–पत्र और अन्य वित्तीय लेखों को प्रकाशित करना अपेक्षित है । अब इस सीमा को बीस लाख रूपए तक बढ़ाना समुचित समझा गया है ताकि बीस लाख रूपए तक के वार्षिक आवर्त वाली सोसाइटियों को समाचार पत्रों में अपने वित्तीय लेखों और तुलन–पत्र प्रकाशित करवाना अपेक्षित न हो । इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तावित है कि सोसाइटियों के

रजिस्ट्रार को किसी विवाद का निपटारा करने के लिए सरकार के किसी भी अधिकारी को निर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकृत किया जाए । इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

यह विधेयक उपयुर्क्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मंत्री ।

धर्मशाला :
तारीख.....2011.

वित्तीय ज्ञापन

————शून्य————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 राज्य सरकार को किसी पूर्त या कल्याणकारी उद्देश्य, जिसके लिए सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर सकेगी, को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है। इसके अतिरिक्त खण्ड 6 सोसाइटियों के रजिस्ट्रार को धारा 42 के अधीन विवाद का विनिश्चय करने के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करता है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य–स्वरूप का है ।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 26 2011.

THE HIMACHAL PRADESH SOCIETIES REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (Act No. 25 of 2006).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Societies Registration (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section(3), after clause (xii), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(xiii) promotion of Sports, including in-door and adventure games but excluding games of chance and betting; and

(xiv) any other charitable or welfare object as the State Government may, by notification published in the Official Gazette, notify.".

3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for clause (xii), the following clause shall be substituted, namely:—

"(xii) the condition that the Society shall not distribute surplus, if any, among members,".

4. Amendment of section 9.—In section 9 of the principal Act,**—**

(a) in sub-section (5), the words and signs "within a period of ninety days from the date of
commencement of this Act" shall be omitted.; and

(b) the proviso to sub-section (5) shall be omitted.

5. Amendment of section 35.—In section 35 of the principal Act, in sub-section (2), in second proviso, for the words "**five lac**", the words **"twenty lac"** shall be substituted.

6. Amendment of section 42.—In section 42 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) If any dispute arises among the governing body or the members or ex-members of the Society or its employees or ex-employees in respect of any matter relating to the affairs of the Society, any member or ex-member of governing body or employee or ex-employee of the Society may refer such dispute to the Registrar for decision, who may either decide the dispute himself or refer such dispute to any other officer of the Government for disposal, as may be authorized by him in this behalf.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 was enacted with a view to provide for the registration and working of literary, scientific, educational, religious, charitable or other social welfare societies by repealing the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860)

insofar as it was applicable to the State of Himachal Pradesh. After the repeal of the Himachal Pradesh Sports (Registration, Recognition & Regulation of Associations) Act, 2005 (Act No. 13 of 2005), there is no law applicable for governing the Sports Associations and the Societies registered under the repealed Act of 2005 or for the future registration of Sports Associations. Thus, it has been proposed to make a provision to facilitate registration of sports societies under the Act ibid. Further, it has also been proposed to empower the Government to notify charitable or welfare objects other than those specified under section 1, for which a society may obtain registration. Further, it has also been proposed that condition of time limit for making amendments in the bye-laws of the existing societies provided under sub-section (5) of section 9 of the Act may be removed. Under section 35, Societies with annual turnover exceeding rupees five lac are required to publish audited balance sheet and other financial accounts in the news paper. Now, it has been considered appropriate to enhance this limit to twenty lac rupees so that the societies having annual turnover upto twenty lac may not be required to publish their financial accounts and balance sheet in news paper. Further, it is proposed that the Registrar of Societies be authorized to refer any dispute for disposal to any officer of the Government. This has necessitated amendments in the Act ibid.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

Dharamshala :
The _____, 2011.

FINANCIAL MEOMORANDUM

- NIL –

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill seeks to empower the State Government to notify any charitable or welfare object for which a society may obtain registration. Further, clause 6 seeks to empower the Registrar of Societies to authorize any officer of the State Government to decide the dispute under section 42. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

_____